

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./शिवचरण शर्मा/19432/2019 दिनांक-18.12.2019 द्वारा श्री शिवचरण शर्मा, व्याख्याता (हिन्दी) को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर (याचिका संख्या-19432/2019) से स्थगन प्राप्त होने के कारण माननीय न्यायालय निर्णय के अध्यक्षीन राउमावि, चावण्डेडा (दौसा) में व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर पदस्थापित किया गया था एवं श्री अखिलेश मीणा, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, चावण्डेडा (दौसा) को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द किया गया था।

श्री अखिलेश मीणा, व्याख्याता (हिन्दी) जो आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा में दे रहे हैं का पदस्थापन राउमावि, ढिगारिया-लवाण, दौसा में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगे। संबंधित जिशिअ./संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनके कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करावें।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/एपीओ पदस्थापन/2020

दिनांक:- 13/03/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा
5. अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
6. प्रधानाचार्य, राउमावि, ढिगारिया-लवाण, दौसा
7. संबंधित कार्मिक-
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./गरिमा शर्मा/17117/2019 दिनांक-18.12.2019 द्वारा श्रीमती गरिमा शर्मा, व्याख्याता (हिन्दी) को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर (याचिका संख्या-17117/2019) से स्थगन प्राप्त होने के कारण माननीय न्यायालय निर्णय के अध्यक्षीन राबाउमावि, रेजीडेन्सी मधुबन चेतन, उदयपुर में व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर पदस्थापित किया गया था एवं अमिता शर्मा, व्याख्याता (हिन्दी), राबाउमावि, रेजीडेन्सी मधुबन चेतन, उदयपुर को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द किया गया था।

अमिता शर्मा, व्याख्याता (हिन्दी) जो आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर में दे रही है का पदस्थापन राउमावि, गुरु गोविन्द सिंह चेतक सर्किल-गिर्वा, उदयपुर में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगे। संबंधित जिशिअ./संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनके कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करावें।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/एपीओ पदस्थापन/2020

दिनांक:-/3/03/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, उदयपुर
5. अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
6. प्रधानाचार्य, राउमावि, गुरु गोविन्द सिंह चेतक सर्किल-गिर्वा, उदयपुर
7. संबंधित कार्मिक-
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक))
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./हरिकेश मीणा/18390/2019 दिनांक-18.12.2019 द्वारा श्री हरिकेश मीणा, व्याख्याता (हिन्दी) को माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर (याचिका संख्या-18390/2019) से स्थगन प्राप्त होने के कारण माननीय न्यायालय निर्णय के अध्यक्षीन राउमावि, मिर्जापुरा-लालसोट, दौसा में व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर पदस्थापित किया गया था एवं श्री मुकेश कुमार मीणा, व्याख्याता (हिन्दी), राउमावि, मिर्जापुरा-लालसोट, दौसा को आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा में उपस्थिति देने हेतु पाबन्द किया गया था।

श्री मुकेश कुमार मीणा, व्याख्याता (हिन्दी) जो आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा में दे रहे हैं का पदस्थापन राबाउमावि, लालसोट, दौसा में व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगे। संबंधित जिशिअ./संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनके कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करावें।


(सौरभ स्वामी)


आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/एपीओ पदस्थापन/2020

दिनांक:-/3/03/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल शिक्षा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, दौसा
5. अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
6. प्रधानाचार्य, राबाउमावि, लालसोट, दौसा
7. संबंधित कार्मिक-
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर